

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-5

संख्या:- 119/XXX-5/20-38(55)2019

देहरादून:दिनांक 10 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (4) तथा उत्तरप्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं० 1602/उन्तालिस(2)-217-64 दिनांकित 29 अगस्त 1977 के प्रस्तर 2(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए "सतर्कता विभाग" एवं "सतर्कता अधिष्ठान" को आसूचना संगठन (Intelligence Organization) घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राधा रतूडी)

अपर मुख्य सचिव

संख्या / XXX-5 / 2020-38(55)2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के संज्ञानार्थ।
3. महानिदेशक, पुलिस उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, कुमायूँ / गढ़वाल मण्डल उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण में आगामी तिथि में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 / मीडिया प्रभारी, सचिवालय परिसर।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से.

(राधा रतूडी)

अपर मुख्य सचिव